न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
रा.प्रा.पत्र संख्या 108/2023

प्रार्थी :–
1–संतोष पुत्री बक्षाराम पत्नी किशनाराम जाति जाट
निवासी देवरीया जाटान हाल बायड़ तहसील मेड़ता
अप्रार्थीगण :–
1–बक्षाराम पुत्र गोकुलराम
2–पप्पूराम पुत्र बक्षाराम
3–रामकुंवार पुत्र बक्षाराम
जातियान जाट निवासीगण देवरीया जाटान तहसील रियांबड़ी
4–तहसीलदार रियांबड़ी
5–पटवारी हल्का मेड़ास तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
6–उप पंजियक रियांबड़ी।

वकील प्रार्थी :– श्री रामकिशोर भंवरीया
वकील अप्रार्थी संख्या–श्री घनश्याम खालिया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–09/4/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि :–

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र व वाद अनवान सदर का पेश किया गया। जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर है जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी पूरी आशा है। प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य है। हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा की बनारस शाखा से गर्वन होते है।

मौजा देवरीया जाटान की सरहद में स्थित खसरा नंबर 189 रकबा 1.7500 हैक्टर,खसरा नंबर 30 रकबा 1.2000 हैक्टर,खसरा नंबर 70 रकबा 0.0300 हैक्टर गैर मुमकिन बाड़ा,खसरा नंबर 149 रकबा 4.5000 हैक्टर की भूमि पूर्व में प्रार्थीनी के दादा गोकुलराम के नाम की थी। गोकुलराम के फौत होने के पश्चात सम्पूर्ण खातेदारी जमीन प्रार्थीनी के पिता बक्षाराम के नाम उतराधिकार के रूप में प्राप्त हुई।

यह है कि उपरोक्त खसरान की भूमि में प्रार्थीनी का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत समान हक व अधिकार है। मगर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपने बहकावे में लेकर वादग्रस्त आराजी को बेचने पर आमादा है। जो अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को कोई अधिकार नही है क्योंकि भूमि उतराधिकार में प्राप्त हुई है। प्रार्थीनी का भी पैतृक भूमि में समान हक व हिस्सा है। इसलिए प्रार्थीनी ने खातेदारी की घोषणा व बंटवारा का वाद भी पेश किया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 वृद्व है और प्रार्थीनी के पास ही रह रहे है। परंतु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त आरजी के विशेष भू भाग को बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी संख्या 1 को उसके खातेदारी अधिकार से महरूम करना चाहते है। इसलिए प्रार्थीनी के हक व अधिकारो व बंट को घोषित करवाने हेतू वाद पेश किया गया। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जो काश्त में दखलदांजी नहीं करे तथा किसी तरह का बेचान व हस्तांरण नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर ताफैसला वाद के प्रार्थना पत्र को पुख्ता किया जावें।

वकील प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जबाब हेतू नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वकील घनश्याम खालिया ने वकालतनामा व जबाब पेश किया गया। वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ने अपनी जबाब में बताया गया कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एक ही परिवार के सदस्य हैऔर जो प्रार्थीनी ने

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

सदर अनवान का वाद पेश किया गया जो मजबूत तथ्यो पर आधारित नहीं है। जिसमें किसी प्रकार की कामयाबी प्रार्थीनी को मिलने की कोई गुजाईश है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी गोकुलराम की पूर्व में नही है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित खातेदारी की काश्त व कब्जा की है। जिसमें प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कोई हक व अधिकार बंट नहीं है। व ना ही प्रार्थीनी का कब्जा काश्त है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को स्वअर्जित भूमि को बेचान करने व हस्तांतरण का पूरा पूरा अधिकार है। अपाथी संख्या 1 ने वादग्रस्त खसरा की भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान के खरीद की है। जिसके आधार पर अप्रार्थी 1 के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीनी के पास नहीं रहता हौ अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि है और अपने जीवनकाल में बंटवारा करवाने का प्रार्थीनी को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीनी शादीसुदा है और अपने ससुराल रहती है। अप्रार्थी संख्या 1 मानसिंक व शारिरिक रू॰ से कमजोर नहीं है। बुरा भला सोचने की क्षमता स्वंय रखता है।

वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 तथा प्रार्थीनी का कोई काश्त व कब्जा नहीं जिससे कब्जा काश्त पर दखल करने का कोई प्रश्न नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 को वादग्रस्त आराजी को बेचान व किसी तरंह की सरकारी योजनाऔ का लाभ प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है।

अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील प्रार्थीनी को प्रार्थना पत्र की बहस हेतू पर्याप्त समय दिये जाने के बावजूद बहस हेतू टालमटोल कर रहे। इसलिए वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की एक पक्षीय बहस समायत की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के वकील ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की खरीदसुदा आराजी है। जो सवअर्जित है। जिसमें प्रार्थीनी व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कोई हक बंट व अधिकार नहीं है। भूमि पैतृक होने पर ही उनके उतराधिकारीगण को समान हक व बंट अधिकार प्राप्त होत`है। अप्रार्थी संख्या 1 का काश्त कब्जा है। प्रार्थीनी ने झूठा ही खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा का वाद पेश किया गया। जो गलत तथ्यों पर आधारित है। अप्रार्थी संख्या 1 रेकोर्डड खातेदार है। रेकोर्डड खातेदार के विरूध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करना कानूनन उचित नहीं है। प्रार्थी आउट ऑफ पजेशन है। किसी प्रकार कोई काश्त व कब्जा नहीं है। जिससे प्रार्थीनी को कोई राईट टू शू नहीं है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान व पुराने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है। जो पूर्व में उनके नाम से ही खातेदारी में दर्ज है। जो पैतृक प्रतीत नहीं होती है। अगर पैतृक भूमि है तो गोकुलराम के विधिक वारिसान के नाम खातेदारी दर्ज होती। शुरू से ही अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज होती आ रही है। साबित खसरा व हाल खसरा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है। वर्तमान में भी काश्त व कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का है। प्रार्थीनी ने रेकोर्डेड खातेदार विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है। जो उचित नहीं है जबकि उनका कोई काश्त व कब्ज नहीं है। इसलिए प्रार्थीनी आउट ऑफ पजेशन है। अप्रार्थी संख्या 1 की स्वअर्जित भूमि में कोई हक व बंट नहीं है। ना ही काश्त व क़ब्जा है।

अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं है क्योंकि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीनी की खरीदसुदा स्वअर्जित भूमि नही है। जिसमें उसका कोई हक व अधिकार बंट नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 रेकोर्डेड खातेदार है और रेकार्डेड खातेदार के विरूध प्रार्थीनी अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद के पाने की अधिकारी नहीं है। और सुविधा का संतुलन भी नहीं है क्योंकि काश्त व कब्जा प्रार्थीनी का न होकर अप्रार्थी संख्या 1 का है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखी जावे तो अप्रार्थी संख्या को अपूर्णीनीय क्षति होगी क्योंकि वह रेकोर्डेड खातेदार है तथा सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित रहेगा। रेकोर्डड खातेदार के विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद के पुख्ता किया जाना उचित नहीं है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का खारिज किया जाता है तथा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 12.07.2023 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09/4/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर